भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 655
उत्तर देने की तारीख 03 दिसम्बर, 2025

मध्य प्रदेश-राजस्थान सीमा के साथ 5जी कनेक्टिविटी

655. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा, विशेष रूप से झालावाड़-बारां क्षेत्र में स्थित जिलों में संचार टावरों की स्थापना के माध्यम से 5जी नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक जिला-वार लगाए गए 5जी संचार टावरों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने 5जी संचार टावरों की सुरक्षा प्रोफ़ाइल का, विशेष रूप से विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों के संपर्क और कैंसर जैसी बीमारियों के मामलों के बीच किसी संभावित संपर्क के संबंध में कोई वैज्ञानिक मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खतरे की सीमा, या दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट करने वाले कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) दिनांक 31-10-2025 तक मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य के सभी जिलों में 5जी बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) उपलब्ध हैं, जिनमें मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर स्थित जिले भी शामिल हैं। इसके अलावा, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने झालावाड़ और बारां जिलों में क्रमशः 412 और 303 5जी बीटीएस संस्थापित किए हैं।

(ख) और (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पाया है कि:

"अब तक किए गए सभी रिव्यू से पता चला है कि इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन-आइओनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन (आईसीएनआईआरपी) 1998 ईएमएफ़ दिशानिर्देशों में बताई गई सीमा से कम एक्सपोज़र, जो 0-300 गीगा हर्ट्ज़ की पूरी फ़्रीक्वेंसी रेंज को कवर करता है, से स्वास्थ्य पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है।"

इसके अलावा, सरकार ने आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा पालन की जाने वाली एक्सपोज़र सीमा निर्दिष्ट करते हुए दिशानिर्देश जारी किए हैं। विवरण अनुबंध-। में दिया गया हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत में बीटीएस से ईएमएफ एक्पोजर की वर्तमान सीमा इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन-आइओनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन (आईसीएनआईआरपी) द्वारा निर्धारित सीमाओं से दोगुनी कठोर है।

<u>अनुबंध-I</u>

दिनांक 03.12.2025 को लोकसभा के अतारांकित प्रश्न सं. 655 के उत्तर में उल्लेखित अनुबंध

एक्सपोज़र सीमा निर्दिष्ट करने वाली दिशा-निर्देश:

फ़्रीक्वेंसी रेंज	पावर डेंसिटी (वाट/स्क्वायर मीटर)
400 मेगा हर्ट्ज़ से 2000 मेगा हर्ट्ज़	फ़्रीक्वेंसी (मेगा हर्ट्ज़ में)/400
2 गीगा हर्ट्ज़ से 300 गीगा हर्ट्ज़	5

जहां, एमएचजेड़ = मेगा हर्ट्ज़

जीएचजेड़ = गीगा हर्ट्ज़